मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 9 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 18, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य, भिण्ड जिले में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य, इंदौर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-एक के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में स्थाई विद्युत कनेक्शन न दिये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना स्थल से पांच व्यक्तियों का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, गिरीश गौतम, विश्वामित्र पाठक, सदस्य, लोक शिक्षण संचालनालय में उप संचालकों के पद पर अपात्र व्यक्तियों की पदस्थापना होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि.

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा .... (क्रमशः)

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 8 जुलाई, 2009